रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, मंगलवार जून 2, 1970/ज्येष्ठ 12, 1892

No. 207] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 1970/JYAISTHA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd June 1970

S.O. 2063/15/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be, substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as The Jaya Shankar Mills, Barsi Ltd., Barsi, Dist. Sholapur (Maharashtra) for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:

Chairman

1. Shri I. B. Das Gupta, 168-F, Ambedkar Road, Bombay-14.

Members

2. Shri D. P. Kelkar, Chief Executive Authority, Edward Textiles, Bombay.
3. Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation.
4. Shri V. V. S. Sastry, Jt. Director (Finance), National Textile Corporation.
5. Shri V. A. Mahajan, Senior Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, 100, Marine Drive, Bombay.

Member-Secretary

6. Shri V. N. Moralwar, Director, Regional Office of the Textile Commissioner, Elysium Mansion, No. 8, Walton Road, Colaba, Bombay-5.

[No. F. 9(9)Lic.Pol./70.]

R. C. SETHI, Under Secy.

औद्योगिक विकास, व्यापार आंतरिक तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून 1970.

का० आ० 2063/15/आई० डी० आर० ए०/70.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दि जयशंकर मिल्स बारसी लि०, बारसी, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की सम्भावना है, जिसके लिये, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ;

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है:—

अध्यक्ष

1. श्री आई० बी० दास गुप्ता
 168—एफ०, आम्बेडकर रोड, बम्बई—14 ।

सदस्य

2. श्री डी० पी० केल्कर, मुख्य अधिकारी प्राधिकारी, एड व र्ड टैक्सटाइल्स, बम्बई ।
3. श्री एम० जी० मीरचन्दानी, निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।
4. श्री वी० वी० एस० शास्त्री, संयुक्त निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।
5. श्री बी० ए० महाजन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
 क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय,
 समवाय विधि बोर्ड, 100, मैरिन ड्राइव, बम्बई ।

सदस्य सचिव

6. श्री वी० एन० मौरालवड़, निदेशक,
 वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
 एलिसियम मेंशन, नं० 8, वाल्टन रोड,
 कोलाबा, बम्बई—5 ।

[सं० फा० 9(9)—लाई० पोली०/70]

आर० सी० सेठी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970